



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 15.05.2025

- ❖ महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- ❖ नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना शिवली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2025 धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 12.05.2025 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 143/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम 02 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व धारा व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी करते हुए थाना शिवली पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर वांछित अभियुक्त दिलशाद उर्फ आदिल पुत्र शहीद निवासी ग्राम रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 15.05.2025 को समय 13.56 बजे बैरी तिराहा के पास थाना क्षेत्र शिवली जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त अबरार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

दिलशाद उर्फ आदिल पुत्र शहीद निवासी ग्राम रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री केशव देव
2. हे0का0 443 सतीशचन्द्र